THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) A three-year relaxation in the upper age limit has been available to OBC candidates for appearing in the Civil Services Examination with effect from the Civil Services Examination, 1995.

(b) SC/ST candidates are already eligible for a five year relaxation in the upper age limit for appearing in the Civil Services Examination. There is no change in the upper age limit of General candidates.

(c) These age relaxations for SCs/STs and OBCs have been provided as a matter of conscious policy and there is no proposal to reconsider them.

(d) Does not arise in view of (c) above.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई) द्वारा दायर रिट याचिकाएं

1761. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी याचिकाएं दायर कीं;

(ख) कितने मामलों में सरकारी अधिकारी, उद्योगपति, फिल्म-अभिनेता, सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधक तथा अध्यक्ष दोषी पाए गए है;

(ग) कितने मामलों में औद्योगिक घरानों को धोखाधड़ियों में दोषी पाया गया है;

(घ) कितने मामलों में अग्रिम जमानतें मंजूर की गई हैं; और

(ङ) लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा देश की किसी भी अदालत में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई है;

(ख) पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1993 से 1998 (30-04-98 तक) के दौरान सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों इत्यादि के संलिप्त होने के कुल 1105 मामलों में अदालतों द्वारा निष्कर्षत: दोषसिद्ध कर दिए गए और जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर थे, उन्हें दोषी ठहराया गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, औद्योगिक घरानों/फर्मों से संबंधित 30 मामलों में कानूनी मामलों की विभिन्न अदालतों द्वारा दोषसिद्ध कर दिए गए।

(घ) संदर्भाधीन अवधि के दौरान, 204 मामलों में कानूनी मामलों की विभिन्न अदालतों द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को अग्रिम जमानत दे दी गई।

(ङ) न्यायालयों में विचारण हेतु लम्बित चल रहे मामलों का शीघ्र निबटाया जाना अनिवार्यत:, संबंधित न्यायालयों पर निर्भर करता है। अपनी ओर से, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जहां कहीं संभव हो, केवल ब्यूरो से संबंधित मामलों के निबटारे हेतु न्यायालय स्थापित किए जाने के क्रम में अपेक्षित कार्रवाई आरम्भ करने के अतिरिक्त, इन मामलों की स्थिति की आवधिक रूप से मानीटरिंग करता है।

LPG Applicants in Maharashtra

1762. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the number of applications for LPG connection pending with gas agencies in Ahmednagar and other districts of Maharashtra, gas agency-wise;

(b) the number of gas connections allotted during last year district-wise; and

(c) by when all such persons would be provided with gas facilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) and (b) The details of waiting list for LPG connection and LPG connections released in Maharashtra during 1997-98 are given in the Statement (*See* below).

(c) Efforts are constantly on to release LPG connections to applicants as early as possible. Plans have been drawn for higher availability of LPG by increasing the